

प्रेषक,

डा० रोशन जैकब,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 08 अक्टूबर, 2020

विषय:-भवन/विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में खुदाई के दौरान प्राप्त उपखनिजों के निस्तारण हेतु अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-663/86-2020-55/08 दिनांक 26.03.2020 (छायाप्रति संलग्न) एवं तत्क्रम में निर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-385/एम०-228/2017(खनन नीति V), दिनांक 19.06.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा उपखनिजों के नियमित खनन संक्रियाओं के अतिरिक्त निजी आवासीय भवन को छोड़कर विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भवनों के निर्माण तथा विकास परियोजनाओं की स्थापना/निर्माण के दौरान खुदाई से प्राप्त होने वाले उपखनिजों के निस्तारण के लिए अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अधिसूचना सं०-560/86-2020-55/08 दिनांक 18.03.2020 द्वारा उच्चासर्वे संशोधन के माध्यम से उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में नया नियम-52ख को बढ़ाते हुए ऐसे उपखनिजों के निस्तारण की प्रक्रिया सम्बन्धी पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को अवकमित करते हुए उक्त नियम-52ख के अंतर्गत अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने तथा उपखनिजों की मूल्यांकित मात्रा पर देय रायल्टी की धनराशि हेतु प्रक्रियात्मक विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3. इस सम्बन्ध में संज्ञान में आया है कि महानगरीय जनपदों को छोड़कर अन्य जनपदों में व्यावसायिक भवनों के निर्माण तथा विकास परियोजनाओं की स्थापना/निर्माण के दौरान खुदाई से प्राप्त होने वाले उपखनिजों के लिए अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की उक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने के लिए लोगों को जनपद स्तर पर प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ऐसे खुदाई से प्राप्त होने वाले उपखनिजों के लिए अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही आम जन-मानस द्वारा उपयोग में नहीं लायी जा रही है। इससे राजस्व की क्षति भी हो रही है।

4. उल्लेखनीय है कि उक्त खनिजों के सुगम निस्तारण हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-576/म०-228/2017(खनन नीति V), दिनांक 17.07.2020 द्वारा विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर आनलाइन आवेदन एवं भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

5. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निजी आवासीय भवनों को छोड़कर, व्यावसायिक भवनों के निर्माण तथा विकास परियोजनाओं की स्थापना/निर्माण के दौरान खुदाई से प्राप्त होने वाले उपखनिजों के लिए अनुज्ञा पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-663/86-2020-55 08 दिनांक 26.03.2020 एवं तत्क्रम में

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-385/एम०-228/2017 (खनन नीति V), दिनांक 19.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुज्ञा पत्र प्रदान करने हेतु विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर आनलाइन आवेदन प्राप्त करने एवं निस्तारित करने के साथ-साथ उपखनिजों की मूल्यांकित मात्रा पर देय रायल्टी की धनराशि के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा० रोशन जैकब)
सचिव।

संख्या : (1)/86-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, लखनऊ।
3. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।